प्रेषक,

आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल,
नैनीताल।

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक)
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
नई दिल्ली।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2022

पत्रांक 564 /XXVI-9(11)/2022

विषय मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र दिनांक 01.12.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करे। जो मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रिसिंपल बैंच नयी दिल्ली में दायर वाद सं0 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, की बैंच द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश के कम में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(HOFF) उत्तराखण्ड़ देहरूदन, आयुक्त कुमाऊं मण्डल, नैनीताल एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति का गठन किया गया।

प्रकरण में संयुक्त टीम की आख्या जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित की गयी, पर मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रिंसिपल बैंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2022 के अनुपाल न में संयुक्त कमेटी द्वारा बिन्दुवार कम संख्या 01 से 07 तक निम्न सुझाव दिये हैंः–

1–समिति द्वारा देखा गया कि नैनीताल नगर के स्थानीय निवासी, प्रेस एवं मीडिया हरे वृक्षों के कटान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है तथा विभाग को अधिकांश मामलों में स्थानीय सहयोग तथा उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हरे वृक्षों के पातन आदि की सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं तथा अधिकांश में वन विभाग के स्तर से जुर्म इत्यादि पंजीकृत करते हुए तथा जुर्माना वसूलते हुए रोकताथ की कार्यवाही की गयी है। वन विभाग को सतत रूप से क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए अपराध गठित होने के दौरान ही अपराध नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक तंत्र विकसित करने की जरूरत है।

2–वृक्षों के अवैध पातन की शिकायत प्राप्त होने की दशा में त्वरित कार्यवाही करने के लिए वन विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन कर संचालन किया जाये, जो निगरानी हेतु अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस उपकरणों से सुसजित हो। प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज शिकायतों का ब्योरा व कृत कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाये।

3–नैनीताल नगर क्षेत्रांन्तर्गत अधिसूचित हरित जोन व निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्रों का प्रचार प्रसार हेतु संबंधित होल्डिंग/सूचना बोर्ड लगाये जाये, जिसके लिए स्थानों का चिन्ह्किरण किया जाना होगा।

4–विगत 20 वर्ष की गूगल इमेजरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नैनीताल नगर क्षेत्र में आवासीय भवनों का प्रसार द्रुत गति से हो रहा है। नगर क्षेत्र के विकास का मास्टर प्लान वर्ष 1995 से लागू है जो वर्तमान में भी प्रभावी है। नये मास्टर प्लान में निर्माण कार्य में प्रभावी नियंत्रण हेतु वैज्ञानिक तरीकों का भी समावेश किया जाना अवश्यक होगा।

5–नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत हरित जोन में अवैध निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध व कठोर दंड का भी प्राविधान रखा जाये।

6–पूर्व निर्मित भवन जिन्हें मरम्मत व पूनर्निर्माण की अनुमति दी जा रही है, पूर्व स्वीकृत एवं निर्मित क्षेत्रफल अनुसार हो, उसके अतिरिक्त निर्माण न हो।

7–नगर क्षेत्रान्तर्गत नजूल की भूमि का स्वामित्व शासन एवं नगर पालिका में निहित होने के कारण नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत स्थित नजूल भूमि एवं नगर पालिका से बाहर की नजूल भूमि के वृक्षों के कटान पर नगर पालिका द्वारा भी दण्डात्मक एवं प्रभावात्मक कार्य किया जाना अपेक्षित होगा।

उपरोक्त सुझावों पर वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर पालिका परिषद द्वारा इस पर प्रभावी निगरानी रखने हेतु अपेक्षित कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के आदेश के क्रम में आख्या/सुझाव प्रेषित है।

भवदीय,

(दीपक रावत),
आयुक्त।